

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत मूँगफली के समूह प्रदर्शन प्लाट पर हरियाणा के 9 जिलों (हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी तथा पंचकूला) में समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाईयों के लिए किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20–07–2022 तक कर सकते हैं।

मूँगफली के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 4000/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

<b>District wise Physical &amp; Financial target of Cluster Demonstration on Groundnut Kharif 2022</b> <b>(Assistance @ Rs. 4000/ acre)</b>						
Sr. No.	District	Total		General		SC
		Phy (in acre)	Fin (in lakh)	Phy (in acre)	Fin (in lakh)	Phy (in acre)
1	Hisar	225	9.00	180	7.20	45
2	Sirsa	280	11.20	224	8.96	56
3	Fatehabad	300	12.00	240	9.60	60
4	Bhiwani	85	3.40	68	2.72	17
5	Jhajjar	50	2.00	40	1.60	10
6	Ch.Dadri	50	2.00	40	1.60	10
7	M.Garh	110	4.40	88	3.52	22
8	Rewari	110	4.40	88	3.52	22
9	Panchkula	40	1.60	32	1.28	8
	<b>Total</b>	<b>1250</b>	<b>50.00</b>	<b>1000</b>	<b>40.00</b>	<b>250</b>
						<b>10.00</b>

#### विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मदों के प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी या सहकारी समीति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक, के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत अरण्ड के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अन्तर्गत हरियाणा के 9 जिलों (हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत तथा यमुनानगर) अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20–07–2022 तक कर सकते हैं।

अरण्ड के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 1200/ एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/ 30 प्रतिशत महिला किसान/ 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise Physical & Financial target of Cluster Demonstration on Castor Kharif 2022 (Assistance @ Rs. 1200/ acre.)							
Sr. No.	District	Total		General		SC	
		Phy (in acre.)	Fin (in lakh)	Phy (in acre.)	Fin (in lakh)	Phy (in acre.)	Fin (in lakh)
1	Hisar	210	2.52	168	2.02	42	0.50
2	Fatehabad	180	2.16	144	1.73	36	0.43
3	Sirsa	250	3.00	200	2.40	50	0.60
4	Bhiwani	100	1.20	80	0.96	20	0.24
5	M.Garh	85	1.02	68	0.82	17	0.20
6	Rewari	100	1.20	80	0.96	20	0.24
7	Ch.Dadri	80	0.96	64	0.77	16	0.19
8	Sonipat	60	0.72	48	0.58	12	0.14
9	Y.Nagar	60	0.72	48	0.58	12	0.14
<b>Total</b>		<b>1125</b>	<b>13.50</b>	<b>900</b>	<b>10.80</b>	<b>225</b>	<b>2.70</b>

#### विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/ महिला किसान/ लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मदों के प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी या सहकारी समीति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक, के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/ खण्ड कृषि [अधिकारी/ उपमण्डल कृषि अधिकारी/ उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा